न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2018 एल.आर. एक्ट

तुलछाराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति जाट नि. 18 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :– श्री अजीत पाल गोदारा – अभिभाषक अपीलांट
श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06–11–2019

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04–12–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके रोही बडोपल बारानी के खेत खं. नं. 1457 मे तादादी 11.00 बीधा बारानी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा मे स्थित हे। उक्त भूमि पूर्व काश्तकार,खातेदार श्री सुलतान पुत्र बस्तीराम जाति जाट को वाके रोही बड़ोपल बारानी के खेत ख. न. 1457 की तादादी 25 बीधा कुषि भूमि का आंवटन टी सी में 30.6.1978 को किया गया था। उक्त भूमि मे से 11.00 बीधा का आवटन उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा दिनांक 24.7.2000 को कर दिया। सुलतान पुत्र बस्तीराम ने उक्त कृषि भूमि को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 20.1.2005 को अपीलान्ट के पक्ष मे विक्रय कर दी, जिसका ईन्तकाल सख्या 511 दर्ज हो गया। इस आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर उक्त भूमि ग्राम बडोपल की जमाबदी सम्वत् 2070–73 खाता सं. 129 पर तुलछाराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट के नाम दर्ज खं. नं. 2909/1457 /2.176, है.0 भूमि जो अप्रार्थी के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नाम खातेदारी दर्ज है जिसे जमाबदी से विलोपन किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 2929/1457/2.176 है0 रकबा निरस्त करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि कृषि भूमि वाके रोही बडोपल बारानी के खेत खं. नं. 1457 मे तादादी 11.00 बीधा बारानी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा मे स्थित हे। उक्त भूमि पूर्व काश्तकार,खातेदार श्री सुलतान पुत्र बस्तीराम जाति जाट को वाके रोही बड़ोपल बारानी के खेत ख. न. 1457 की तादादी 25 बीधा कुषि भूमि का आंवटन टी सी में 30.6.1978 को किया गया था। जिसका नवीनीकरण भी होता रहा। उक्त भूमि मे से 11.00 बीधा का उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा दिनांक 24.7.2000 को कर दिया। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार जरिए सनद उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा दिनांक 28.10.2004 को प्रदान कर दिये गये। सुलतान पुत्र बस्तीराम ने उक्त कृषि भूमि को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 20.1.2005 को अपीलान्ट के पक्ष मे विक्रय कर दी, जिसका ईन्तकाल सख्या 511 दर्ज हो गया। अपीलान्ट के नाम किसी भी राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की दोहरी प्रविष्टि नही रही है। अपीलान्ट के पक्ष मे विक्रय पत्र पत्र है कानूनन धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे खातेदारी सनद को शून्य नही किया जा सकता है। आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 12.2.2018 को हुई । अतः अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जाता है:–

यह अपील उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04–12–2017 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 22.2.18 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 12.2.2018 को हुई । अपीलान्ट द्वारा धारा –5 के प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणो पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि सुलतान पुत्र बस्तीराम जो इस भूमि का खातेदार था उसने उक्त कृषि भूमि को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 20.1.2005 को अपीलान्ट के पक्ष मे विक्रय कर दी, जिसका ईन्तकाल सख्या 511 दर्ज हो गया।

न्यायालय के अनुसार जिस पटवारी द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया वो किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज नही किया गया है, उस पटवारी के खिलाफ पुलिस थाना पीलीबंगा मे विभिन्न धाराओ मे मुकदमा दर्ज है तथा इस संबध मे उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा जांच मे दर्ज की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही मानते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–12–2017 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–11–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: